न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 20 / 2017 (उदयपुर डिक्री)

मेघा पिता रोड़ा जी भील, निवासी ढींकली, हाल निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल पिता दीता जी गमेती, निवासी ग्राम अडोल, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
2. लसमा पिता दीता जी गमेती, निवासी ग्राम अडोल, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
3. धर्मा पिता पुना जी गमेती, निवासी ग्राम अडोल, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
4. अम्बावा पिता भगा जी गमेती, निवासी ग्राम अडोल, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
5. राजमल पिता वेसा जी गमेती, निवासी ग्राम अडोल, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर (राज.)
6. पारू पिता गणेश जी भील, निवासी ग्राम ढींकली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा दि॰
26–12–2016 प्रकरण संख्या 256/2015

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री नरेश जणवा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सुखराम डिडेल अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 5
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 7

———::———

निर्णय दिनांक 19–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 व 7 के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:47 IST
Reason: SelfAttested

धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम ढीकली में आराजी नंबर 3234 रकबा 0.1400 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गणेश पिता रोड़ा भील द्वारा दिनांक 22–10–2013 को रजिस्टर्ड विक्रय से वादीगण को विक्रय की गयी थी। गणेश का देहान्त हो चुका है, जिसके वारिस वाद पत्र की कलम संख्या 1 अंकित सजरे अनुसार हैं। गणेश के अन्य वारिसान ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग कर दिया, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण खोला गया, तब से प्रतिवादी संख्या 1 पारू बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जबकि क्रय दिनांक से वादीगण निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद वर्णित आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22–10–2013 के आधार पर कब्जे काश्त में होने से वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से एकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गयी तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–12–2016 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02–03–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सुखराम डिडेल उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे की है, रेस्पोन्डेन्टगण उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमि का विवाद अधिनस्थ न्यायालय में विचारधीन होते हुए भी विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है एवं जालसाजी कर अधिनस्थ न्यायालय से निर्णय प्राप्त कर लिया है, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। साईद में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:47 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि प्रार्थी का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है, न ही राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम अंकित है, केवल झूठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृत चाह रहा है। अपील में विलम्ब से प्रस्तुत की इसलिए मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अपीलान्ट का विवादित आराजयात से कोई संबंध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपने धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया है कि उनका विवादित आराजी से क्या संबंध है तथा वह अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से किस प्रकार से प्रभावित हैं। इसके अलावा अपील भी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए मयाद कण्डोन बाबत् कोई प्रार्थना पत्र भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील बेरून मयाद होने एवं अपीलान्ट आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार साबित नहीं होने के कारण अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि मृतक गणेश के नाम भूमि गलत अंकित हुई थी, वह रोड़ा का उत्तराधिकारी नहीं है, रोड़ा का उत्तराधिकार अपीलान्ट है। अपीलान्ट ने रोड़ा के विरासत के नामान्तरकरण संख्या 29 निर्णय निांक 30–04–1988 की अपील प्रस्तुत कर रखी है, जो विचाराधीन होकर प्रकरण संख्या 11/2014 मेघा बनाम गणेश है। रेस्पोन्डेन्टगण ने दुरभिसंधि से वाद डिक्री कराया है। मृतक गणेश द्वारा वादीगण के पक्ष में नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने सही मानकर वाद डिक्री करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट मेघा अपने आपको रोड़ा का पुत्र बताकर आप न्यायालय में अपील पेश की है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में मेघा न तो पक्षकार था, न रोड़ा का बेटा है, न गणेश पिता रोड़ा के खानदान का है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वह किशना व रोड़ा का वारिस साबित होता हो। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:47 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपने आपको रोड़ा का पुत्र बताकर अपील पेश की है, इसके लिए उसे द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं निर्वाचन नामावली की सूची प्रस्तुत की गयी है, किन्तु यह रोड़ा वही रोड़ा है जो गणेश का पिता है, जिसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय से भूमि वादीगण को विक्रय की गयी है, यह साबित नहीं होता है। विवादित आराजी से अपीलान्ट का क्या संबंध है यह उसके द्वारा साबित नहीं कराया गया है। अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ जो जमाबन्दी प्रस्तुत की है, उसमें भी विवादित आराजी नंबर 3234 रकबा 0.1400 हैक्टर गणेश पिता रोड़ा के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील बेरून मयाद होने, अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार साबित नहीं होने एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–2016 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:47 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

मेघा पिता रोड़ा जी भील, नि0 ढींकली हाल निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

मोहनलाल पिता दीता जी गमेती, नि0 ग्राम अडोल, तहसील झाड़ोल (फ.) जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**20 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**26**.....माह.....**12**.....**2016**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेश जणवा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सुखराम डिडेल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील बेरून मयाद होने, अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार साबित नहीं होने एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–12–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:51:47 IST
Reason: SelfAttested